जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

170/15

A3

अपील सूचना अधि. अधि. सं0 170/2015 अनवानी श्री रोहित वर्मा निवासी 30–31 रोहित उद्योग पैलेस, नेशनल हाईवे, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–03–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रोहित वर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा चाही गई निम्नांकित 7 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में दिनांक 24.10.2015 को लोक सूचना अधिकारी ने प्रश्नवाचक सूचना अंकित कर जान बूझकर सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः वांछित निम्न 7 बिन्दुओ की सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

1. मौजूदा जिला श्री पी सी किशन के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से 23 अक्टूबर 2015 की अवधि में कितने नए आर्मस लाईसेन्स दिए गए, कितनो का नवीनीकरण किया गया एवं कितने लाईसेन्स का हस्तान्ण (नामान्तरण) किया गया। प्रत्येक के नाम, पते एवं जारी करने की तिथि का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्री पी सी किशन से पूर्व जिला कलक्टर श्री आर.एस.जाखड़ के कार्यकाल में कुल कितने नए आर्मस लाईसेन्स दिए गए। कितनो का नवीनीकरण, कितनो का हस्तान्तरण (नामान्तरकरण) किया गया था, सभी के नाम, पतो सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. नए आर्मस लाईसेन्प्स जारी करने में राज्य सरकार की पाबंदी संबंधी कोई आदेश हो तो उपलब्ध करावें।
4. राज्य सरकार के किन आदर्शो के तहत श्रीगंगानगर जिले में नए आर्मस लाईसेन्स जारी नही किए जा रहे।
5. नए आर्मस लाईसेन्स लेने के लिए किसी आवेदक को क्या क्या कागजात देने एवं फार्म भरने पड़ते है सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।
6. किस व्यक्ति को नया आर्मस लाईसेन्स देने में प्राथमिकता दी जाती है विवरण एवं आदेशो की कॉपी उपलब्ध करावे।
7. 30 अक्टूबर 2015 तक नए आर्मस लाईसेन्स के कितने आवेदन प्रशासन के पास बकाया पड़े है प्रत्ये का नाम एवं विवरण उपलब्ध करावें और इन आवेदको को आर्मस लाईसेन्स नही दिए जाने वाले कारणो का उल्लेख करें।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला मजि0 (शहर) श्रीगांगनगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 39 दिनांक 01.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदक को सूचना कार्यालय के पत्रांक 10945 दिनांक 09.11.2015 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र कमांक प.20(16)प्रसु/सुअप्र/2010 दिनांक 16.12.2011 द्वारा संधारित अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध करवाने से है। अधिनियम की धारा 2(च) में परिभाषित शब्द सूचना में क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है जबकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रश्न उत्तर के रूप में है। कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 के अनुसार सूचना का अर्थ यह नही है कि लोक सूचना अधिकार सूचना को नया रूप प्रदान कर व सूचना सृजित कर प्रदान करें। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अत्यन्त विस्तृत है। धारा 7(9) के अनुसार सूचना सामान्त ऐसे रूप में, जिसमें यह चाही गई है प्रदान की जायेगी जब तक कि यह लोक प्राधिकारी के

कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

170/15
AB/2

संसाधनो को अनुपाति रूप से विचलित नही करें। आवेदक को किसी विशिष्ट अभिलेख की प्रति की आवश्यकता है तो पूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है अथवा निरीक्षण कर सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 10945 दिनांक 09.11.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

क्र. सं.	बिन्दु	जबाब
1	मौजूदा जिला श्री पी सी किशन के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से 23 अक्टूबर 2015 की अवधि में कितने नए आर्मस लाईसेन्स दिए गए, कितनो का नवीनीकरण किया गया एवं कितने लाईसेन्स का हस्तान्ण (नामान्तरण) किया गया। प्रत्येक के नाम, पते एवं जारी करने की तिथि का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	बिन्दु सं0 01 से 02 व 07 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण देय नही है। किसी निश्चित अनुज्ञापत्र की प्रविष्टि के संबंध में कोई प्रतिलिपि की आवश्यकता हो उसके लिए पूर्ण विवरण देकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विधिवत होने पर विचार किया जा सकेगा।
2	श्री पी सी किशन से पूर्व जिला कलक्टर श्री आर.एस. जाखड़ के कार्यकाल में कुल कितने नए आर्मस लाईसेन्स दिए गए। कितनो का नवीनीकरण, कितनो का हस्तान्तरण (नामान्तरकरण) किया गया था, सभी के नाम, पतो सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	बिन्दु संख्या 01 में अंकित जबाब में निहित है।
3	नए आर्मस लाईसेन्स जारी करने में राज्य सरकार की पाबंदी संबंधी कोई आदेश हो तो उपलब्ध करावें।	इस संबंध में कोई आदेश कार्यालय में उपलब्ध नही है।
4	राज्य सरकार के किन आदर्शो के तहत श्रीगंगानगर जिले में नए आर्मस लाईसेन्स जारी नही किए जा रहे।	इस संबंध में कोई आदेश कार्यालय में उपलब्ध नही है।
5	नए आर्मस लाईसेन्स लेने के लिए किसी आवेदक को क्या क्या कागजात देने एवं फार्म भरने पड़ते है सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।	इस संबंध कार्यालय दिवस/कार्यालय समय में उपस्थित होकर सूचि प्राप्त कर सकते है।
6	किस व्यक्ति को नया आर्मस लाईसेन्स देने में प्राथमिकता दी जाती है विवरण एवं आदेशो की कॉपी उपलब्ध करावे।	इस संबंध में कोई आदेश कार्यालय में उपलब्ध नही है।
7	30 अक्टूबर 2015 तक नए आर्मस लाईसेन्स के कितने आवेदन प्रशासन के पास बकाया पड़े है प्रत्ये का नाम एवं विवरण उपलब्ध करावें और इन आवेदको को आर्मस लाईसेन्स नही दिए जाने वाले कारणो का उल्लेख करें।	बिन्दु संख्या 01 में अंकित जबाब में निहित है।

अपीलार्थी को दिये गये उक्त जबाब दिनांक 09.11.2015 के अनुसार बिन्दु सं0 1, 2, 7 की सूचना प्रश्नात्मक है व बिन्दु सं0 3,4,6 से संबंधित कोई अभिलेख नही है और बिन्दु सं0 5 के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि वह किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर नये अनुज्ञापत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजात आदि की सूचि प्राप्त कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और तृतीय पक्ष से भी संबंधित नही होनी चाहिए तथा कार्यालय संसाधनो को प्रभावित करने वाली नही होनी चाहिए तथा चाही गई सूचना से किसी व्यक्ति विशेष की जान माल की सुरक्षा भी प्रभावित नही होनी चाहिए।

चूंकि चाही गई सूचनांओ का संबंध तृतीय पक्षो से संबंधित है और प्रश्नात्मक रूप में भी है तथा संबंधित अनुज्ञापत्रधारीयों के अनुज्ञापत्रो की जानकारी देने से उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। ऐसी अवस्था में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उतर दिनांक 09.11.2015 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए अति0 जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी किसी निश्चित अनुज्ञापत्रधारक के संबंध में पूर्ण विवरण देकर कोई सूचना लेना चाहे तो उस पर नियमानुसार ही विचार करें और साथ ही बिन्दु संख्या 5 की सूचना के संबंध में उपस्थित होने पर नये अनुज्ञापत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजो की सूचि के लिए सूचि उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर